मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

24 जनवरी, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में महिला स्व-सहायता समूहों को 3 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति किये जाने सहित कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश में संचालित म.प्र. दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित महिला स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिये राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं शहरी आजीविका मिशन में सभी ज़िलों में उन्हीं महिला स्व-सहायता समूहों को यह प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिन्हें राज्य शासन एवं केंद्र शासन से 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया गया है।
- मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में शहरी क्षेत्र की अधो-संरचना और अन्य विकास कार्यों के लिये 'मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधो-संरचना निर्माण योजना' के अंतर्गत दो वर्षों के लिये (वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24) 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिये जाने एवं आवश्यक बजट प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया गया।
- मंत्रि-परिषद द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय सागर में 85 पी.जी. सीट वृद्धि के लिये 101 करोड़ 46 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के विभिन्न विभागों में पी.जी. सीट की वृद्धि से प्रदेश को प्रतिवर्ष अतिरिक्त संख्या में विषय-विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हो सकेंगे।
- मंत्रि-परिषद द्वारा जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग के विशिष्ट आवासीय विद्यालयों, कन्या शिक्षा परिसर तथा आदर्श आवासीय विद्यालयों के निजी सहभागिता से संचालन के लिये मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुमोदन किया गया।
- मंत्रि-परिषद द्वारा 'संविदा शाला शिक्षक' को 'प्राथमिक शिक्षक/प्रयोगशाला शिक्षक' से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/important-decisions-taken-in-the-meeting-of-the-council-of-ministers-chaired-by-the-chief-minister